ग्राम पंचायत लदोह, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. **प्रस्तावना :—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लदोह, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत लदोह में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्रीमती अनिता कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—.

1	श्री अशवनी कुमार	01.04.2022 से 24.05.2023
2	श्री सतीश कटोच	25.05.2023 से 31.3.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत लदोह के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.09
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	30.03

3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.43
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि की प्राप्ति न करना	0.05
5	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.02
6	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय।	9.65
7	9	गृहकर के रूप में प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करवाने के फलस्वरूप दुर्विनियोजन	0.04
8	10	प्रस्तुत बिल की अपेक्षा अधिक भुगतान करना ।	0.07
9	11	सभा निधि से राशि का संदिग्ध/सम्भावित दुरूपयोग करना।	0.21
10	12	प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि का अन्तर	4.99

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत लदोह, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.01.2025 से 04.02.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022—2023	03/2023	11/2022
2023—2024	08/2023	03/2024

अस्वीकरण **(Disclaimer):-** इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत लदोह, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/1 दिनांक 04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत लदोह, विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत लदोह के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	1569778.72	129135	65525	1764438.72	356314	1408124.72
2023–24	1408124.72	104890	19664	1532678.72	814200	718478.72

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत लदोह के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	2779060.28	5513267	11619	8303946.28	4649421	3654525.28
2023–24	3654525.28	7006022	165264	10825811.28	7823260	3002551.28

बैंक समाधान विवरणी :—

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,			
A/c No. 20054004729	KCCB Panchrukhi	Own Source, 5th State	956271.38
A/c No. 50055849946	KCCB Panchrukhi	SDP, SDRF	567138
A/c No. 50055850372	KCCB Panchrukhi	VKVNY	337946
A/c No. 6412000100012751	PNB Panchrukhi	SF	37211
A/c No. 920010055860280	Axis Bank Palampur	15th FC	1831101
cash in hand			589
		Total	**3730256.38**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			718478.72
Cash Book Balance on 31.03.2024		5 SFC	266366.28
Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY	337946
Cash Book Balance on 31.03.2024		15TH FC	1831101
Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP	567138
		Total	**3721030**
		diffrence	**9226.38**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.09 लाख का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः—स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹9,226/—के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2 दिनांक 04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या

जीपीएल–05 / 25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37 / 3 दिनांक 04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05 / 25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते न खोलना:–

निदेशक, पंचायती राज के पत्र सख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित हैं।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own Source, 5th State, स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्व एक ही बैंक खाता संख्या 20054004729 के0सी0सी0बी0 व SDP, SDRF हेतु खाता संख्या 50055849946 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/4 दिनांक 04.02.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः निर्देशों एवं नियमानुसार कार्यवाही न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

5. **निवेश :–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03. 2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹7,18,478/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/5 दिनांक 04.02.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹30.03 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 30,02,551.30 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार शेष राशि को नियमानुसार/फंडिंग एजेन्सी के निर्देशानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व सम्पत्ति कर ₹0.43 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त

कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, मॉग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व (सम्पति कर के रूप में ₹42,500/–) वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	61000	42500	103500	52500	51000
2023–2024	51000	42500	93500	51000	42500

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/6 दिनांक 04.02.2025 द्वारा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित

अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹ 42,500/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.05 लाख की प्राप्ति न करने बारेः–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/–) प्रति विवाह की दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 व 2023–24 में निम्न विवरणानुसार ₹5200/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त नहीं किये गये थेः–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तव वसूली गई राशि (₹)	कम वसूल की गई राशि (₹)
1	09	सन्दीप कुमार पुत्र श्री कर्म चन्द	09.05.22	01.06.22	200	0	200
2	13	सौरभ शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा	01.08.22	16.08.22	200	0	200
3	14	पूजा देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द	26.09.22	06.10.22	200	0	200
4	15	शगुन पुत्री श्री राकेश कुमार	04.12.22	12.12.22	200	0	200
5	16	सुमित सुरियाल पुत्र श्री अनिल कुमार	02.12.22	19.12.22	200	0	200
6	17	अरविन्द कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द	0712.22	22.12.22	200	0	200

7	18	अभिषेक ठाकुर पुत्र श्री बलवन्त सिंह	02.12.22	रजिस्टर में तिथि अंकित नही है	400	0	400
8	19	समित कटोच पुत्र श्री त्रिलोक कटोच	04.12.22	21.12.22	200	0	200
9	20	सृष्टि पृत्री श्री राकेश कुमार	07.12.22	रजिस्टर में तिथि अंकित नही है	400	0	400
10	21	साक्षी पुत्र श्री अमीं चन्द	04.12.22	रजिस्टर में तिथि अंकित नही है	400	0	400
11	22	बन्टी कुमार पुत्र श्री जनक कुमार	08.12.22	16.01.23	400	0	400
12	01	सलोनी धीमान पुत्री श्री धमीर चन्द	15.01.23	02.02.23	200	0	200
13	02	दिक्षा पुत्री विपन कुमार	26.01.23	15.02.23	200	0	200
14	03	आशीष कुमार पुत्र श्री राज सिंह	30.01.23	20.02.23	200	0	200
15	04	अमित राणा पुत्र श्री प्रकाश	21.01.23	रजिस्टर में तिथि अंकित नही है	400	0	400
16	05	सुनैना पुत्री श्री डैम सिंह	16.02.23	25.02.23	200	0	200
17	06	अखिल पुत्र श्री हरवंश लाल	17.02.23	03.03.23	200	0	200
18	08	साहिल राणा पुत्र श्री कुलदीप	09.02.23	03.03.23	200	0	200
19	09	भोविन राणा पुत्र श्री सुरेश कुमार राणा	23.02.23	14.03.23	200	0	200
20	10	अंजली पुत्री विनोद कुमार	03.05.23	16.05.23	200	0	200
21	11	अश्वनी कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल	10.05.23	23.05.23	200	0	200
							5200

विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार प्राप्ति सुनिश्चित न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/7 दिनांक 04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली बारे कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹2,400/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि०प्र० शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2,400/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्श**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि**
1	2023–24	2400.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/8 दिनांक 04.02..2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹9.65 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों / विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹** 9,65,043 /– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37 / 9 दिनांक 04.02..2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05 / 25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा सूचित किया कि कुछ सामग्री के फार्म एक्स व डब्ल्यु प्राप्त किये गये है । अतः भविष्य में समस्त सामग्री फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत

करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. गृहकर के रूप में प्राप्त की गई ₹0.04 लाख की राशि को बैंक में जमा न करवाने के फलस्वरूप दुर्विनियोजनः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (2) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त सारी धन राशि फण्ड की प्रकृति अनुसार उप–नियम 4 (1) में सन्दर्भित किसी एक खाते में जमा की जाएगी।

गृहकर के रूप में अर्जित की गई आय के अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न रसीदों द्वारा गृहकर के रूप में ₹ 23800/– की राशि की प्राप्ति की गई थी, परन्तु रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 57 पर ₹ 20100/– को इन्द्राज किया गया दर्शाया गया है व बैंक में भी दिनांक 22.02.23 को ₹ 20100/– की राशि ही जमा करवाई गई। फलस्वरूप अंकेक्षण में इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः ₹ 3700/– की राशि बैंक में कम जमा की गई जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/10 दिनांक 04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा सूचित किया कि कम जमा की गई राशि की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

रसीद संख्या	प्राप्त की गई राशि (₹)	कुल प्राप्ति (₹)	बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)	कम जमा राशि (₹)
0420003	1000.00			
0420004	200.00			

0420006	200.00			
420007 से 420100	9400.00			
420301 से 420400	13000.00	23800.00	20100.00	3700.00

अतः गृहकर के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण राशि को जमा न करवाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

10. प्रस्तुत दावे की अपेक्षा ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना ।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के प्रावधानानुसार सम्बद्ध पंचायत का सचिव, यदि कोई पंचायत निधि से किए गए अति संदाय चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

व्यय वाउचर संख्या 3 दिनांक 20.06.2022 की जाँच करने पर पाया कि पंचायत द्वारा अदायगी हिन्दी पंजाब केसरी रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 41 के अनुसार ₹9288/– का भुगतान किया गया था व बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 20.06.2022 को ₹9288/– की राशि आहरित हुई थी। उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल संख्या 1005321053 दिनांक 01.05.2022 के माध्यम से कुल राशि ₹1950.48 के भुगतान हेतु दावा किया था, जबकि पंचायत द्वारा ₹1950.48 के विरूद्व ₹9288/– का भुगतान किया गया था । इस प्रकार फर्म को ₹ 7337.52 (9288–1950.48) का अधिक भुगतान किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि उक्त फर्म को पंचायत द्वारा अनुचित लाभ प्रदान किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/11 दिनांक 04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः प्रस्तुत दावे की अपेक्षा अधिक भुगतान करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अनुचित भुगतान ₹ 7337.52 की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये ।

11. सभा निधि से ₹ 0.21 लाख का संभावित दुरूपयोग करना ।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के प्रावधानानुसार सम्बद्ध पंचायत का सचिव, यदि कोई पंचायत निधि से किए गए अति संदाय चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

1. रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 41 वाउचर संख्या 1 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार अदायगी बी0एस0एन0एल0 बिल ₹ 1240/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया था, जिससे सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परन्तु बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 20.06.2022 को ₹ 7240/–की राशि आहरित की गई थी । अतः ₹ 6000/–(7240–1240) की राशि किस प्रयोजन हेतु आहरित की गई ।
2. रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 53 दिनांक 01.02.2023 के अनुसार अदायगी चायपान ग्राम सभा बैठक ₹ 4450/– व अदायगी स्टेशनरी ₹ 1345/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया था परन्तु बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 01.02.2023 को ₹20719/–की राशि आहरित की गई थी । अतः ₹14,924/–(20719–5795) की राशि किस प्रयोजन हेतु आहरित की गई ।

इस प्रकार अधिक आहरित की गई राशि ₹ 20924/– का न तो रोकड़ बही में इन्द्राज किया गया न ही इससे सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये । फलस्वरूप अधिक आहरित की गई राशि के संभावित दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/12 दिनांक 04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल–05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर

पंचायत द्वारा कार्यवाही अमल में लाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अनुचित आहरित राशि ₹ 20924/— की उचित स्त्रोत की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करना सुनिश्चित की जाये एवं ऐसे अन्य प्रकरणों की जाँच उपरान्त यथास्थिति अमल में लाई गई विभागीय कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

12. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹ 4.99 लाख की राशि के अन्तर बारेः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका कियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के कियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे हैं, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 4,99,114.00 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः—

31.03.2024 को प्रिया साफॅटवेयर में संधारित रोकडबही का अन्तशेष	₹	4220144
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकडबही का अन्तशेष	₹	3721030
अन्तर	₹	499114.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/12 दिनांक 04.02.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएल—05/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि

प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

1	नि0 जीप योग्य रोड मेन रोड से शमशेर सिंह के घर तक VKVNY
2	नि0 रास्ता इण्टरलॉक टाईल गैस एजैन्सी से बलवन्त भूरिया के घर तक VKVNY
3	नि0 जीप योग्य रोड पाहडा रोड से सिमरीता के घर तक VKVNY
4	नि0 जीप रोड बैल्डिंग की दुकान से विनय अवस्थी की जमीन तक VKVNY

14. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997

के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में

अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

16. **लघु आपित्त विवरणिका** :— इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17. **निष्कर्ष** :— लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

26 MAR 2025 क्रमांक/डी०पी०

1810 - 1814

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)460/2025—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत लदोह, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

26 MAR 2025

क्रमांक/डी०पी०

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Ladoh" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	250674.28	289692	0	540366.28	281400	258966.28
2	VKVNY	328743	529539	11619	869901	629274	240627
3	15TH FC	1848895	1463036	0	3311931	507747	2804184
4	SDP	350748	0	0	350748	0	350748
5	MNREGA	0	3231000	0	3231000	3231000	0
	Total Rs.	2779060.28	5513267	11619	8303946.28	4649421	3654525.28

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Ladoh" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	258966.28	262900	0	521866.28	255500	266366.28
2	VKVNY	240627	90000	7319	337946	0	337946
3	15TH FC	2804184	649463	142363	3596010	1764909	1831101
4	SDP	350748	1333659	15582	1699989	1132851	567138
5	MNREGA	0	4670000	0	4670000	4670000	0
	Total Rs.	3654525.28	7006022	165264	10825811.28	7823260	3002551.28

Balance as per Bank on 31.03.2024
Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,

A/c No. 20054004729	KCCB Panchrukhi	Own Source, 5th State	956271.38
A/c No. 50055849946	KCCB Panchrukhi	SDP, SDRF	567138
A/c No. 50055850372	KCCB Panchrukhi	VKVNY	337946
A/c No. 6412000100012751	PNB Panchrukhi	SF	37211
A/c No. 920010055860280	Axis Bank Palampur	15th FC	1831101
cash in hand			589
		Total	3730256.38

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		718478.72
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	266366.28
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	337946
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1831101
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	567138
	Total	3721030
	diffrence	-9226.38

Amita
प्रधान
ग्राम पंचायत लदोह
वि०ख० पंचरुखी तह० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

सचिव

Financial Position of Own sources in r/o GP Ladoh

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	1569778.72	129135	65525	1764438.72	356314	1408124.72
2023-24	1408124.72	104890	19664	1532678.72	814200	718478.72

Checked

Amita
प्रधान
ग्राम पंचायत लदोह
वि०ख० पंचरुखी तह० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

सचिव

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Ladoh Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	61000	42500	103500	52500	51000
2023-24	51000	42500	93500	51000	42500

Amita
प्रधान
ग्राम पंचायत लदोह
वि०ख० पंचरुखी तह० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

सचिव

परिशिष्ट-3
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 8 के सन्दर्भ में) (1)

Name of Gram Panchayat Ladoh Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

(2022-23)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Date	Bill No & Date	Send CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	C/O KUHAL FROM RAILWAY LINE TOWARDS GAS AGENCY STORE	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	756/17-08-22	200	200	0	0	19800
2	C/O KUHAL FROM KUSHAL RANA HOUSE TOWARDS GHANSYAM HOUSE	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	754/17-08-22	200	200	0	0	19800
3	C/O KUHAL FROM MANSHA DEVI HOUSE TOWARDS PRAKASH CHAND LAND	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	752/17-08-22	200	200	0	0	19800
4	C/O KUHAL THAKUR DASS HOUSE TOWARDS JAMUN TREE	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISE	02-11-22	752/17-08-22	200	200	0	0	19800
5	C/O KUHAL FROM RAMESH DHIMAN HOUSE TOWARDS VIJAY SHARMA HOUSE	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISE	02-11-22	750/17-08-22	200	200	0	0	19800
6	C/O KUHAL BANTI DHIMAN HOUDE TOWARDS SOMA DEVI LAND	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	751/17-08-22	200	200	0	0	19800
7	C/O KUHAL FROM GASS ANGENCY TOWARDS JEEVAN KUMAR HOUSE	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISE	02-11-22	755/17-08-22	200	200	0	0	19800
8	C/O KUHAL FROM PANOH KUHAL TOWARDS NALLA W/N-2 (KAPOOR BASTI)	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	761/17-08-22	200	200	0	0	19800
9	C/O KUHAL FROM REETA PATHANIA HOUSE TOWARDS RAILWAY LINE W/N-1	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISERS	02-11-22	760/17-08-22	200	200	0	0	19800
10	C/O KUHAL FROM SURIYAL TIMBER TOWARDS HAAR NAALA W/N-4	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	759/17-08-22	200	200	0	0	19800
11	C/O KUHAL FROM BAGHED TOWARDS PURAN CHAND LAND W/N-6	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	762/17-08-22	200	200	0	0	19800
12	C/O KUHAL FROM BANDH TOWARDS ALANG NALLA W/N-7	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	785/17-08-22	200	200	0	0	19800
13	C/O CHECK DAM NEAR BABDI W/N-5	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	757/17-08-22	200	200	0	0	19800
14	C/O WATER TANK VINAY AWASTHI & PPUNI CHAND LAND	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISERS	02-11-22	766/25-08-22	233	300	60	0	28396
15	C/O WATER TANK DESH RAJ S/O SARVDYAL W/N-3	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISER	02-11-22	767/28-08-22	175	300	89	0	27205
										313001

सचिव
ग्राम पंचायत लडोह
वि०ख० पंचरुखी तहसील पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०)

23

hpr/05/2025 10/02/2025

Name of Gram Panchayat Ladoh Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

(2023-24)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Date	Bill No & Date	Send CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	C/O MOKSH DHAM GHOPAD W/N-2	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	002/26-04-23	300	400	0	0	35500
				01-03-24	075/11-11-23	300	0	0	0	15900
2	C/O KUHAL FROM KUSHAL RANA HOUSE TOWARDS BHAWANI HOUSE W/N-3	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	060/10-12-23	300	500	200	0	50200
3	C/O LAND PROTECTION WALL JASHPAL BHANDHARI LAND W/N-2	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	050/26-10-23	200	300	0	0	23800
			DINESH KUMAR	01-03-24	061/10-11-23	100	0	0	0	4900
4	C/O RETAINING WALL SIMRTA DEVI W/O PRASHOTAM SINGH LAND W/N-5	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	065/11-12-23	200	300	0	0	25300
5	C/O RETAINING WALL GYAN CHAND S/O TAVARSHU RAM LAND	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	063/11-12-23	200	300	0	0	25300
6	C/O RETAINING WALL NEAR ANIL WELDING SHOP W/N-5	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	052/26-10-23	200	300	0	0	19200
				01-03-24	62/11-11-23	100	0	0	0	7200
7	C/O VAAL VATIKA W/N-7	MGNREGA	DINESH	01-03-24	012/26-04-23	700	0	0	0	36000
				01-03-24	013/26-04-23	0	500	0	0	24000
				01-03-24	014/26-04-23	0	0	489	0	24000
				01-03-24	070/11-11-23	500	0	0	0	26000
				01-03-24	071/11-11-23	0	500	0	0	24000
				01-03-24	072/11-11-23	0	0	500	0	24000
8	C/O JEEPABLE ROAD FROM MAIN ROAD TOWARDS HAAR NALLA W/N-4	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	005/26-04-23	300	300	0	0	27972
				01-03-24	006/26-04-23	0	0	200	0	9660
				01-03-24	068/10-12-23	0	0	100	0	11200
9	C/O PATH FROM RAMESH DHIMAN HOUSE TOWARDS UPADHYAY BASTI W/N-6	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	003/26-04-23	600	0	300	0	45880
				01-03-24	004/26-04-23	0	1000	0	0	48840
				01-03-24	008/26-04-23	0	1000	0	0	48840
10	C/O CHACK DAM NEAR HARVANSH LAL LAND (NALLA W/N-1)	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	011/26-04-23	200	200	0	0	19250
				01-03-24	059/11-11-23	250	400	0	0	38500
11	C/O BABDI SHINTHU BASTI W/N-1	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	010/26-04-23	200	200	0	0	18200
12	C/O BABDI NEAR CHARUDU W/N-4	MGNREGA	DINESH KUMAR	01-03-24	015/26-04-23	200	200	0	0	18400
										652042

24

सचिव
ग्राम पंचायत लदोह
वि०ख० पंचरुखी तह० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०...)